23

[2018] 11 एस. सी. आर 23

/

उत्तर प्रदेश राज्य v.

राजा ई. टी. सी.

(2015 की आपराधिक अपील संख्या 396-398) 30 अगस्त, 2018

/

[आर**.** भानुमति और वाइन सारन**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -s.302 r/ws।34 – बंदूक की गोली-पीड़ित-मृतक की हत्या और उसके भाई को चोटें-चश्मदीद गवाह, जो पीड़ित के वकील-भाई-पीडब्लू1 थे, के साक्ष्य पर निचली विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय ने घटना के समय और स्थान पर पीडब्लू1 की उपस्थिति पर संदेह करते हुए दोषसिद्धि को खारिज कर दिया-बरी होने के खिलाफ राज्य की अपील-आयोजितःपीडब्लू-1 एक अच्छा वकील होने के नाते और सुबह जनता को संबोधित करने वाले नगर पालिका के सदस्य होने के नाते, उच्च न्यायालय ने घटना के दिन सुबह 9:30 बजे घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह किया-उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर भी संदेह किया कि पीडब्लू-1 जैसा वकील अदालत जाने के बजाय अपने भाई का पीछा क्यों करेगा जो जंगल में मवेशियों को चराने के लिए ले जा रहा था-मृतक के कपड़ों पर गोलियों के छेद की अनुपस्थिति ने भी अभियोजन पक्ष के मामले और समय और कथित तरीके के बारे में संदेह पैदा कर दिया-अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में संदेह पैदा करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया ताकि दोषसिद्धि को उलट दिया जा सके-उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

/

/

/

/

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** अभिलेख से पता चलता है कि पीडब्लू**-1** एक वकील था जो बार में अच्छा अभ्यास करता था। पीडब्लू**-1** उस समय नगर पालिका का सदस्य भी था।अपने साक्ष्य में पीडब्लू**-1** ने स्वीकार किया कि आम तौर पर वह नगर पालिका में सुबह के समय जनता को सुनता था।जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि पीडब्लू**-1** द्वारा जनता के लिए दर्शक अदालत

के घंटे शुरू होने से पहले ही हो सकते थे और उसके बाद वह अदालत जाएंगे।घटना **13** जून**, 1995** को सुबह **9:30** बजे हुई। यह रिकॉर्ड में लाया गया था कि **13** जून**, 1995** एक कार्य दिवस था।

/

/

23 ए.

24 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 11 एस. सी. आर.

पीडब्लू**-1** एक अच्छा वकील होने के नाते और सुबह जनता को श्रोता देने वाली नगर पालिका के सदस्य होने के नाते**,** उच्च न्यायालय ने उक्त दिन सुबह **9:30** बजे घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह किया।उच्च न्यायालय ने पीडब्लू**-1** के साक्ष्य पर भी संदेह किया कि पीडब्लू**-1** जैसा वकील अदालत जाने के बजाय अपने मृत भाई का अनुसरण क्यों करेगा जो जंगल में मवेशियों को चराने के लिए ले जा रहा था और पीडब्लू**-1** का आचरण उसके भाई के अप्राकृतिक होने का अनुसरण करने में क्यों था।**[**पैरा **5] [26-**सी**-**एफ**]2.** अपने साक्ष्य में**,** पीडब्लू**-1** ने कहा कि घटना के बाद वह पहले शिकायत लिखने के लिए न्यायालय गए।यहां फिर से**,** उच्च न्यायालय ने कहा कि पीडब्लू**-1** का आचरण इस मायने में काफी अप्राकृतिक था कि जब उसके एक भाई**,** मृतक की मौत हो गई थी और दूसरे भाई**,** पीडब्लू**-2** को घायल भाई को अस्पताल ले जाने या पुलिस स्टेशन जाने के बजाय उसकी बांह में चोटें आई थीं**,** तो पीडब्लू**-1** केवल शिकायत लिखने के लिए अदालत गया था।यहां फिर से**,** पीडब्लू**-1** का आचरण**,** जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा**,** अजीब और अप्राकृतिक प्रतीत हुआ।**[**पैरा **6] [26-**एफ**-**एच**]**

/

/

/

3. मृतक को छाती में गोली लगी थी और छाती में गहरा घाव था।डॉक्टर **(**पीडब्लू**-3)** ने अपने साक्ष्य में बताया कि बनियान**,** कुर्ते और तहमाद में एक भी छेद नहीं था जिसे शव के साथ जांच के लिए भेजा गया था।यहाँ तक कि जाँच रिपोर्ट में भी मृतक के कपड़ों में गोली के छेद का उल्लेख नहीं था।जब मृतक की छाती में गोली लगने से छाती की गुहा गहरी हो जाती है**,** तो सामान्य रूप से मृतक द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों**,** अर्थात् पश्चिमी कुर्ते पर छेद की उम्मीद की जाती है।अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में संदेह पैदा करते हुए**,** उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को उलटने के लिए प्रतिवादियों**-**अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया है।यह नहीं कहा

जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली किसी भी गंभीर और महत्वपूर्ण त्रुटि से ग्रस्त था।**[**पारस **7,8] [27-**बी**-**डी**]**

/

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2015 की आपराधिक अपील संख्या 396-398।

2002 की आपराधिक अपील संख्या 568,231 और 250 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

/

/

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजा ई. टी. सी.

/

वी. वी. वी. पट्टाभिराम, सुश्री प्रियंका, संजय कुमार त्यागी, अभिषेक कुमार, यूनुस मलिक, प्रशांत चौधरी, अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे.:1. ये अपीलें इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2002 की आपराधिक अपील NO.568,2002 की आपराधिक अपील No.231 और 2002 की आपराधिक अपील NO.250 में पारित 29 मई, 2009 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को उलट दिया और सजा भी सुनाई और प्रतिवादियों को बरी कर दिया।

/

/

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं।13 जून, 1995 को सुबह 9 बजे मृतक-शबू रियाजुद्दीन (पीडब्लू-2) के साथ अपनी भैंसों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। शिकायतकर्ता, इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) और हाफ़िज़ उनका पीछा कर रहे थे।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जब मृतक-शबू और रियाजुद्दीन (पीडब्लू-2) जंगल की ओर बढ़ रहे थे, तो आरोपी राजा (ए-1) ने अन्य अभियुक्तों को प्रोत्साहित किया कि उनके पास दोनों भाइयों, मृतक-शबू और रियाजुद्दीन (पीडब्लू-2) को मारने का अवसर है।राइफलों से लैस राजू (ए-2) और आस मोहम्मद (ए-3) (बरी होने के बाद) ने शबू और रियाजुद्दीन (पीडब्लू-2) पर भी गोलियां चलाईं।शाबू को सीने में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घायल

रियाजुद्दीन (पीडब्लू-2) को दाहिने हाथ में चोट लगी।इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) और अन्य ग्रामीणों को अपनी ओर आते देख सभी आरोपी भाग गए।इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर विधि लागू किया गया।डॉ. पी. के. चतुर्वेदी (पीडब्लू -3) मृतक-शाबू के शव का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटों को नोट किया:

/

/

/

“1. गोली लगने से 1 सेंटीमीटर घाव हुआ।x 1 से. मी. x छाती गुहा छाती के सामने के दाहिने तरफ 2 से. मी. गहरी।दाएँ निप्पल के नीचे 4 बजे की स्थिति पर मार्जिन उल्टा और चीर दिया गया।बाएं स्कैपुला की ओर मध्यम रूप से पीछे की ओर कोई कालापन और कोई चाररिंग (बाहरी घाव) नहीं पाया गया "

/

3. घायल गवाह, इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) और रियाजुद्दीन (पीडब्लू-2) के साक्ष्य के आधार पर, निचली विचारण न्यायालय ने राजा (ए-1) (मृत होने के कारण) राजू (ए-2) और आस मोहम्मद (ए-3) को भी 34 आई. पी. सी. के साथ धारा 305 आई. पी. सी. के अंतर्गत दोषी ठहराया। चौथे आरोपी सरफराज को निचली विचारण न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया।अभियुक्त द्वारा दायर अपील में,

/

उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया। दुखी होकर राज्य हमारे सामने है।

4. हमने अपीलकर्ता-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वी. वी. वी. पट्टाभिराम और प्रतिवादी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री यूनुस मलिक को सुना है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और अभिलेख पर साक्ष्य/सामग्री का भी अध्ययन किया है।

/

5. हालाँकि निचली विचारण न्यायालय ने कहा कि इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) एक भरोसेमंद गवाह है, लेकिन उच्च न्यायालय ने घटना के समय और स्थान पर इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) की

उपस्थिति और उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर भी संदेह किया।यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) एक वकील है जो बार में अच्छा अभ्यास करता है। इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) भी उस समय नगर पालिका के सदस्य थे।अपने साक्ष्य में इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) ने स्वीकार किया है कि आम तौर पर वह नगर पालिका में सुबह के समय जनता को सुनता था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) द्वारा जनता के लिए दर्शक अदालत के घंटे शुरू होने से पहले ही हो सकते थे और उसके बाद वह अदालत जाएंगे।घटना 13 जून, 1995 को सुबह 9:30 बजे हुई। यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि 13 जून, 1995 एक कार्य दिवस था।इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) एक अच्छे वकील होने के नाते और सुबह जनता को श्रोता देने वाली नगर पालिका के सदस्य होने के नाते, उच्च न्यायालय ने उक्त दिन सुबह 9:30 बजे घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह किया।उच्च न्यायालय ने इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) के साक्ष्य पर भी संदेह व्यक्त किया कि इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) जैसा वकील अदालत जाने के बजाय अपने मृत भाई-शबू का पीछा क्यों करेगा जो मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था और पीडब्लू-1-इमामुद्दीन का अपने भाई का अनुसरण करने में आचरण अप्राकृतिक था और हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाना मुश्किल लगता है।

/

/

/

/

6. अपने साक्ष्य में, इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) ने कहा कि घटना के बाद वह पहले शिकायत लिखने के लिए न्यायालय गए।यहां फिर से, उच्च न्यायालय ने कहा कि इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) का आचरण इस मायने में काफी अप्राकृतिक है कि जब उसके एक भाई, शबू की हत्या कर दी गई थी और दूसरे भाई, रियाजुद्दीन (पीडब्लू-2) को घायल भाई को अस्पताल ले जाने या पुलिस स्टेशन जाने के बजाय उसकी बांह में चोटें आई थीं, तो इमामुद्दीन (पीडब्लू-1) केवल शिकायत लिखने के लिए अदालत गए थे।यहाँ फिर से, इमामउद्दीन (पीडब्लू-1) का आचरण, जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा है, अजीब और अप्राकृतिक प्रतीत होता है।

/

/

-

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजा ई. टी. सी. [आर. भानुमति, जे.]

/

7. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से पेश हुए वकील के निवेदन का भी उल्लेख किया है जो हमारे विचार में प्रासंगिक है।जैसा कि पहले बताया गया है, मृतक-शाबू की छाती पर गोली का घाव था और छाती की गुहा गहरी थी।डॉ. पी. के. चतुर्वेदी (पीडब्लू-3) ने अपने साक्ष्य में बताया कि बनियान, कुर्ते और तहमाद में एक भी छेद नहीं था जिसे शव के साथ जांच के लिए भेजा गया था।यहाँ तक कि जाँच रिपोर्ट में भी मृतक-शाबू के कपड़ों में किसी भी गोली के छेद का उल्लेख नहीं है।जब मृतक-शाबू को छाती पर गोली लगी और छाती की गुहा गहरी हो गई, तो सामान्य रूप से मृतक द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों, अर्थात् पश्चिमी कुर्ते पर छेद की उम्मीद की जाएगी।मृतक के कपड़ों पर गोलियों के छेद की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले और कथित समय और तरीके के बारे में संदेह पैदा करती है।अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में संदेह पैदा करते हुए, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को उलटने के लिए प्रतिवादियों-अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया है।

/

/

8. पूर्वगामी कारणों से, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली किसी भी गंभीर और महत्वपूर्ण त्रुटि से ग्रस्त है।

/

9. नतीजतन, अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

/

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

/

/

/

/